turers' association never wanted decontrol. In their letter of August 1965 to the hon. Minister—I would request the hon. Minister to lay it on the Table if it is convenient—they demanded a price increase, but they never wanted that cement be decontrolled. So if the All India cement manufacturers' association did not want it, if people in general had no knowledge about it, if the Members of this House are horribly divided on this issue—there is no unanimity among us on this issue—what was the fun in decontrolling and having an experiment with the progress of our country?

I want the hon. Minister to kindly consider this. If decontrol results in blackmarketing, hoarding or more prices, what will be his position. In that case, with all my respect for the hon. Minister, I would urge upon him that the only remedy for him will be either to shift his seat from that side to this place and join the Swatantra Party, as suggested by Shri Mathur, or he should resign gracefully and peacefully.

An hon. Member: Why?

Shri S. M. Banerjee: Because nobody wanted this decontrol. Production is limited. Internal consumption has increased. If we are wedded to socialism, if we are really progressing towards socialism, naturally there will be more consumption of cement to cope with the needs of the growth of industry, construction of buildings and so on. Consumption will be much more in the country. But when the production is limited, when supply is limited and demand is much more, naturally with this decontrol and a free hand given to the cement magnates, the country will not get anything out of it.

I would therefore request the hon. Minister to reconsider his decision. What is the guarantee given by these industrialists that the increase which has been given to them will be ploughed back for expansion of capacity. STC is out of the picture today. They have given a free hand to the industrialists.

So I would request the hon. Minister to give a second thought to it and consider whether decontrol is in the larger interest of the country and the well-being of the nation or it will be in the interest of the select few who are holding the country to ransom.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That this House takes note of the statement of the Minister of Industry on decontrol of cement, laid on the Table of the House on the 18th November, 1965".

The motion was adopted.

13.56 hrs.

DISCUSSION UNDER RULE 193 *RE* CLOSURE OF TEXTILE MILLS ETC.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन् के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सदन् इस वक्त जो सूती मिलें बन्द हो रही हैं या बन्द होने का खतरा पैदा हुआ है और अन्य कारखानों में तथा इंजीनियरिंग कारखानों में भी व्यापक पैमाने पर छटनी हो रही है इसके सम्बन्ध में विचार करे।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Where is the Commerce Minister? He should be here now.

The Minister of Heavy Engineering and Industry in the Ministry of Industry and Supply (Shri T. N. Singh): I am here.

The Minister of Labour and Employment (Shri D. Sanjivayya): I am here.

श्री मधु लिमये : दो रोज पहले व्यापार मंत्री ने एक निवेदन सदन् के सामने किया सूती मिलों के बन्द होने के बारे में। व्यापार मंत्री बहुत चालाक और चतुर आदमी हैं और आंकड़े वगैरह ऐसे घुमा फिरा कर देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई समस्या है ही नहीं। उन्होंने अपने निवेदन में कहा है कि सूती मिलों को इस वक्त कोई गम्भीर समस्या नहीं है और अपने निवेदन के अन्त में फिर इस बात को दुहराया है :—

> "Thus there is no need to view the situation with any alarm."

इस तरह के आंकड़े देकर एक आभास मंत्री महोदय ने पैदा किया है। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़े तो रोते नहीं हैं न वह भूखे रहते हैं लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो आदमी हैं और उनके औरतें और बच्चे हैं वे जब भूखे रहते हैं तो जरूर रोते हैं। इस बात का मंत्री महोदय हमेशा ख़याल रखें कि जब यह मामले उठते हैं तो उन के बारे में उपेक्षा की नीति वर्त्तना बहुत ख़तरनाक होगा।

जहां तक उनके आंकड़ों का सवाल है मेरे पास उन की तरह कोई बड़ा सचिवालय नहीं है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सही जानकारी सदन् को नहीं दी है। उसमें सत्य और तथ्य का ख़याल नहीं है। उन्होंने जो फेहरिस्त दी है उस में मिसाल के लिए मैं तीन ही मिलों का जिक्र करूंगा। बम्बई में एक धनराज मिल है। दो, ढाई महीने से उस में 2000 मजदूर बेकार हैं। इसी तरह सक्सेरिया मिल है। वह पूरी तरह तो बन्द नहीं हुई लेकिन उस में जो मजदूर काम करते हैं उन में से 60 प्रतिशत बेकार हो चुके हैं। लोगों में डर है कि 10–15 रोज के अन्दर यह मिल भी बन्द हो जायेगी। कल सवेरे मुझ को कोयम्बटूर से एक चिट्ठी आई है। वह बेचारा लिखना नहीं जानता है लेकिन उस ने मुझे यह लिखा है कि 18 सितम्बर को कोयम्बटूर में एक मिल बन्द हो गयी है जिसके बारे में उसने लिखा है कोयम्बटूर सी० एस० डब्ल्यू० मिल, मैं नहीं जानता कि उस का क्या सही नाम है, तो वह मिल भी बन्द हो गयी है। उसी तरह बम्बई में कई बदली मजदूर, जिनकी कि संख्या हजारों की तादाद में है वह बेकार हो चुके हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने विधान सभा की बैठक में इस बात को कबूल किया है कि हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और हजारों मजदूरों के बेकार होने का ख़तरा भी पैदा हो गया है।

14 hrs.

पिछले बजट-सत्र में जब मैं ने इस बारे में चर्चा की और एक प्रश्न पूछा, तो श्री मनुभाई शाह ने मुझ से पूछा कि आप ये सारे आंकड़े कहां से ले आये हैं, मैं व्यापार मंत्री हूं और आंकड़ों के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं। तो मैं ने उन को मजदूर मंत्री की रपट का ही हवाला दिया, जो कि सदन में बैठे हुए हैं। उस रपट के चौदहवें पृष्ठ पर साफ़ लिखा है कि 1964, यानी पिछले साल, के प्रारम्भ में कुल 5,763 मजदूर बेकार थे, लेकिन उसी साल के अन्त में 17,000 से अधिक मजदूर बेकार थे। यहां पर रोजगार और श्रम मंत्री तथा व्यापार मंत्री दोनों बैठे हुए हैं। उनका आपस में जो झगड़ा है, उसका तो फ़ैसला मैं नहीं कर सकता हूं—उस को वह आपस में निबटा लें––, लेकिन मैं ने जो हवाला दिया है और जो नई मिलों का नाम लिया है, उस से यह बात बिल्कुल साफ़ हो जाती है कि मंत्री महोदय के आंकड़े बिल्कुल ग़लत हैं। मैं नहीं कह सकता कि वह जान-बूझ कर ऐसा करते हैं, लेकिन उन के निवेदन का यह नतीजा है कि सदन उनके द्वारा गुमराह किया गया है। वास्तव में यह समस्या बड़ी गम्भीर है और गम्भीरता के साथ सदन को इस के बारे में सोचना चाहिए।

बम्बई की छः इन्दू मिलों के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि 29 नवम्बर को

सरकार ने फ़ैसला किया कि वह उन मिलों को हाथ में ले रही है और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार उन मिलों के लिए 2,40 लाख रुपये कर्ज के रूप में देगी। मुझे जानकारी मिली है कि सरकार के द्वारा नियुक्त इन मिलों के नये व्यवस्थापकों के हाथ में अभी तक वह पैसा नहीं आया है। एक करोड़ रुपये का चैक महाराष्ट्र सरकार ने जरूर दिया है, लेकिन उस के ऊपर भी शायद अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाये हैं। इस प्रकार यह रकम उनके हाथ में नहीं आई है।

इसका नतीजा यह है कि हिन्दू मिलों के बाईस हज़ार मज़दूरों को दो महीने से तन्ख़्वाह नहीं मिली है। सरकार बन्द मिलों में इन को शुमार नहीं करती है और न ही यह दिखाती है कि ये लोग बेकार हैं। लेकिन आख़िरकार बेकारी का क्या मतलब है? वे लोग बराबर काम करते रहे, लेकिन उन को दो महीने से तन्ख़्वाह नहीं मिली है। मैं तो कहूंगा कि यह ज्यादा भयानक और क्रूर बात है कि उन से काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उन को दो महीने से तन्ख़्वाह नहीं दी जा रही है। 9 तारीख़ तक की ख़बर है कि उन को तन्ख़्वाह नहीं मिली है और न ही देने के सम्बन्ध में किसी किस्म का नोटिस लगा है। जो एक करोड़ रुपये का चैक दिया गया है, उस पर भी परसों तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे। दुकान में राशन का भी पता नहीं था।

इन बातों के पीछे क्या कारण है? मै दो रिपोर्टों से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। एक रामास्वामी मुदलियार की रपट है, जिस में उन्होंने कहा है कि सूती कपड़े के उद्योग में काफ़ी मुनाफ़ा हुआ द्वितीय महायुद्ध के बाद भी और और उस से ज्यादा लड़ाई के जमाने में। उन को कहा गया था कि डिविडेंड आदि बांटने में इस मुनाफ़े को वे बर्बाद न करें, उस को बचायें और उस पैसे का इस्तेमाल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए और नये यंत्र आदि बिठाने के लिए करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। करोड़ों, अरबों रुपये उन्होंने मुनाफ़ा कमाया, लेकिन उसका जो जायज इस्तेमाल करना चाहिए था, वह नहीं किया। अभी सरकार ने जो औद्योगिक विकास और नियंत्रण कानून बनाया, जिसके अन्तर्गत सरकार ऐसी मिलों को हाथ में लेती है, उस के बड़े विचित्र नतीजे निकलते हैं। उस के बारे में 1960 में जो वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया गया, उस की रपट के 48वें पृष्ठ पर कहा गया है कि एक मिल के बारे में तो सरकार को यह कहना पड़ा कि "जो मुनाफ़ा होगा, वह तो कम्पनी और उस के व्यवस्थापक को दिया जायेगा, लेकिन जो घाटा होगा, उस की जिम्मेवारी सरकार अपने ऊपर ले लेगी"। उन्होंने ख़ुद कहा है कि यह बड़ी विचित्र बात है।

दूसरी बात यह है कि पांच साल से लेकर दस साल तक मेहनत करने के बाद जब ये मिलें अच्छी स्थिति में आ जाती हैं, तो उन का सारा फ़ायदा मज़दूरों और जनता को नहीं मिलता है, बल्कि पुराने व्यवस्थापकों को, निजी क्षेत्र के लोगों को, मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है और वे पैसा खा कर फिर कम्पनी और मिलों को डुबो देते हैं और बर्बाद कर देते है।

तीन चार तरीके है पैसा खाने के। उस के बारे में मंत्री महोदय कहेंगे कि मै क्या कर सकता हूं। लेकिन वित्त मंत्रालय है, जांच करने के उस के सारे हथियार हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? रुई और दूसरा सामान ख़रीदते समय ये मालिक और व्यवस्थापक लोग सारा पैसा खा जाते है और कम्पनी को डुबो देते हैं। उद्योपतियों में से कुछ लोगों ने मुझ को बताया है कि हमारी चाल का आप को कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कपड़ा जब इकट्ठा हो जाता है, तो संकट-कालीन स्थिति पैदा कर के हम कपड़ा सस्ते में बेचने की बात करते हैं, लेकिन असल में सस्ते में बेचते नहीं हैं, वह पैसा हम खा जाते हैं।

[श्री मधु लिमये]

सरकार के द्वारा नागपुर और अकोला की मिलों का नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसका जिक्र खुद व्यापार मंत्री ने अपने निवेदन के परिशिष्ट 2 में किया है। मैं व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने नाम लिया है, इसलिए मुझे भी कहना पड़ता है। हनुमान प्रसाद नवेटिया का नाम इस में है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस शख्स की पुलगांव में अपनी एक मिल है। सरकारी नियंत्रण में जो मिलें हैं, उन के लिए रुई या दूसरा सामान खरीदते समय वह शख्स दो तीन प्रतिशत ज्यादा दाम दे देता है, जिस की जांच करने वाला कोई नहीं है, और जिन से माल खरीदता है, उन से वह अपनी निजी मिल के लिए रियायत लेता है। इस तरह की बातें भी मेरे कानों में पड़ी हैं।

उसी तरह शोलापुर के लिए सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है, जिस का नाम है मारु साहब। उन के बारे में भी काफ़ी शिकायतें मेरे पास आई हैं। मैं व्यापार मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इन की भी ठीक तरह से जांच करें।

सरकार की ओर से इस बारे में अक्सर एक सवाल यह किया जाता है कि जो संविधान और कानून है, उन के अन्दर हम क्या कर सकते है?——हम पांच साल के लिए और फिर दो दो साल और बढ़ा कर कुल दस साल के लिए, मिल को ले सकते हैं और बाद में हम को उन्हें मालिकों को वापिस देनी ही पड़ेगी, वर्ना हम को संविधान के खिलाफ़ कार्यवाही करनी पड़ेगी, जो अदालत में टिकेगी नहीं। जब व्यापार मंत्री संविधान की पवित्रता की बात करते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। जिस सरकार ने सोलह सत्रह मर्तबा संविधान को बदलने का काम किया है, जब वह संविधान की पवित्रता की बात करती है, तब मुझे कहना पड़ता है कि यह एक बेमतलब और बेमानी चीज है।

मैं आप का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 31 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिस में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की निजी पूंजी, सम्पत्ति, जायदाद केवल कानून के द्वारा प्राप्त अधिकारों के अन्दर ही छीन ली जा सकती है, लेकिन साथ ही कानून के बारे में बताया गया है कि ऐसा कानून, "जिस में नुक्सान और मुआवजा देने के लिए कोई न कोई सिद्धान्त रखा गया हो या जिस में इस बात का उल्लेख किया गया हो कि यह रकम क्या होनी चाहिए"। मैं व्यापार मंत्री से कहूंगा कि जब इस सदन ने और इस सरकार ने समाजवाद का उद्देश्य मान लिया है, तो क्या वह समाजवाद हमेशा सैद्धान्तिक आदर्श वाला और साधारण समाजवाद रहेगा या उस को ठोस और अमली जामा भी पहनाया जायेगा।

इसलिए जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, उस में तब्दीली की जा सकती है और जब इस सरकार की इच्छा होती है, वह तब्दीली कर देती है। संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों, बुनियादी अधिकारों की बात कही गई है, जिन में वाणी और संचार स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। उन अधिकारों को खत्म करने के लिए तो सरकार संविधान में बार-बार परिवर्तन कर देती है। जहां तक कि कीमत का सवाल है मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मुझे यह कहने में खुशी है कि जैन सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय और ये वेदांत वाले जो हैं उनमें और कार्ल मार्क्स में——जहां तक निजी सम्पत्ति का सवाल है, कोई फर्क नहीं है। निजी सम्पत्ति के सीमित अधिकार को हमें कबूल करना चाहिये। मान लें कि एक खेत है जो एक किसान और उसका कुटुम्ब खुद जोत सकता है। उस में निजी पूंजी के अधिकार को अगर आप मान लेते हैं तो यह बात समझ में आती है। या एक दूकान है या एक छोटी सी वर्कशाप है जिस में वह कुटुम्ब अपने श्रम से काम कर सकता है

उसके बारे में भी निजी सम्पत्ति का अधिकार समझ में आता है । लेकिन जिस समाजवाद की आप बात करते हैं अगर उस समाजवाद को आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो निजी पूंजी के अधिकार की रुकावट नहीं होनी चाहिये । अगर ऐसा होता है तो कहना पड़ेगा कि हमेशा राष्ट्रीय एकता की हम बात करेंगे लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करेंगे । जब एकता वाला कोई काम किया जायेगा तो मंत्री महोदय फिर भाग जायेंगे जैसे कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के मामले में हुआ है । राष्ट्रीय एकता सिद्धान्त में मानो, व्यवहार में उसके खिलाफ काम करो, समाजवाद की घोषणा करो लेकिन वास्तव में निजी पूंजी हिफाजत के लिए भले और बुरे हथियारों का और रास्तों का इस्तेमाल करो । ऐसा नहीं होना चाहिए । अगर मंत्री महोदय यह आवश्यक समझते हैं कि संविधान में तरमीम होनी चाहिये तो उनको एक विधेयक पेश करना चाहिये और अगर वह समझते हैं कि कानून में परिवर्तन करना चाहिये तो उसके लिए भी वह कोई संशोधन पेश कर सकते हैं या और कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिससे ये जो बन्द मिलों का मामला है वह वैसे ही न रह जाये । मेरी सीधी सी मांग है । इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये । जब तक राष्ट्रीयकरण का कानून नहीं होता है उनको हाथ में लिया जाये ।

व्यापार मंत्री चूंकि शुरू में यहां उस वक्त नहीं थे इस वास्ते मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हिन्दू मिल के मजदूरों को । आंकड़े रोते नहीं हैं । उनकी आप हमेशा चर्चा करते हैं । लेकिन आंकड़े रोते नहीं हैं, आंकड़े भूखे भी नहीं रहते हैं । लेकिन जो मजदूरों के बच्चे हैं वे रोते हैं, इस बात का हमेशा आप खयाल रखें ।

इस वास्ते मेरा कहना यह है कि संविधान कानून वगैरह में परिवर्तन कर मिलों को आप ले लें । मिलों को लेते समय एक और बात का आप ध्यान रखें । विदर्भ में जैसा किया है, वैसा न करें । विदर्भ में और अमलनेर में मजदूरों की तनख्वाह में कुछ कटौती की है । इस तरह की बात आप न करें । दूसरे जहां तक इंजीनियरिंग कारखानों का और दूसरे कारखानों का सवाल है, कच्चे माल को लेकर और विदेशी मुद्रा के अभाव को ले कर बम्बई में कामानी के कारखाने में, कलकत्ता में कारखानों में और दूसरे क्षेत्रों में जो कारखाने हैं, वहां बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है, उस तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिये । त्रिदलीय सम्मेलन की बात है । उसके द्वारा यह कहा गया है कि एक अन्तर-मंत्रीय समिति हो । लेकिन इसका मुझे पता नहीं है । बनी है या नहीं । मुझे पता है कि सचिवों की एक समिति बनी है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यापार मंत्री को या वित्त मंत्री को मजदूर मंत्री के साथ बैठने में कोई हिचक का अनुभव होता है ? क्या मजदूर मंत्री द्वितीय श्रेणी के मंत्री हैं और वित्त मंत्री साहब जो हैं वह प्रथम श्रेणी के हैं ? मजदूरों के जितने मामले होते हैं उनके बारे में हमेशा पक्षपात और अन्याय किया जाता है । आप की मार्फत मैं व्यापार मंत्री से और वित्त मंत्री से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आवश्यक कच्चा माल मुल्क में पैदा करने के लिए जो ठोस कदम पिछले दस पंद्रह साल में उठाने चाहियें थे, जैसे तांबे के सम्बन्ध में, पीतल के सम्बन्ध में, जिंक के सम्बन्ध में, और जो उठाये नहीं गये हैं, वे अब आप उठायें । उनको न उठा कर आप ने सारे मामले को चौपट कर दिया है । इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज विदेशी मुद्रा के अभाव को लेकर हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि उनके बारे में भी कोई ठोस और उचित कार्रवाई मंत्री महोदय करें ।

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. We will resume this debate after the Food Minister makes his statement